

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/578

दिनांक:- 16.01.2026

आदेश

सां. आ. 148/2026 - आयोग के आदेश क्रमांक 1608/13.05.2019 (सां. आ. 111/2019) को अधिक्रमित करते हुए राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 31-क के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग एतद्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, (ECIL) द्वारा निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के परिकल्प (डिजाइन) को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मत डालने एवं रिकार्ड किए जाने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित करता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय,

16/1/26
(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक: एफ. 1(2)(1) नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/579-583

दिनांक :- 16.01.2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) (कलक्टर), राजस्थान।
3. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु ई-गजट पर अपलोड करने/समस्त संबंधितों को ई-मेल करने हेतु।
5. लेखा/कम्प्यूटर/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग राज., जयपुर।

(अम्बालाल मीणा)
उप सचिव